provided that the non-resident interest in such companies does not exceed 74 per cent of their total equity share capital and that such a company has been granted Indurtrial licence aftor February, 1970 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1051 for carrying on such activities.

The companies so exempted are required to file a declaration with the Reserve Bank in the prescribed form before 24th February, 1975. The names of companies which are covered by the exemption would, therefore, be known only after the necessary declarations are received and scrutinised in the Reverve Bank of India.

## Impact of Arreat of Smugsters mider M.1.8.A.

468. SHRI S. C. SAMANTA: WIB the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) how far the operation of Maintenance of Internal Security Act against the alleged smugglers has resulted in saving of foreign exchange from such countries from which the smuggled goods originated or were transhipped all these years;
(b) how far the remittancea from such countries in the form of tegal tender or transfer through Banks or otherwise have increased;
(c) the estimated amount of such loss to India in the laat few years; and
(d) whether there is any other development in this connection?

THE MONISTER OF ETATE IN THE mintstry of finance (shri praHAB KUMMAR MUKHERJEE): (a) To the extent, the operation of MISA Orilinance has broken the Indian links of smurgiers' gange and restrainea theit activities, it han reduced the conrumption of corelgn exchange for moresting. The aaviogs eftected in thit way, however. cannot be wecuratuly animated.
(b) Remittancen through propec banking chamelis have shown a rise.
(c) It is not pomalble to quantility the low of foreign exchager in this manner. However, the Kaul Committse in their report published in 1971, had eathmated the outgo of toreign exchangte for various purposes, including smuggling to be around Rs. 240 creres annually.
(d) No, Sir.

##  प्रमाब




क्या जित मंली यन बताने की हुणा करेंगे कि
(क) जुलाई मे जारी किये गये कंपनी (लाभांश्र पर श्रस्थाई प्रतिबन्ह्र) अध्यादे का सामाम्य घंखूरियो नथा कंपनियो के लिए ग्राम जनना मे बनगशि एक्ष कग्ने पर श्रक तक क्या प्रभाव पठा कै, और
(ब) लाभांत्र पर प्रतिबन्ध लमा कर बचाई गई धनराणि का चयक नक्त प्रकार उपयोग किया गया है ?
 घौर (ब) : कंपनी (लाबांतों पर अस्थायी निषंसज) प्रभ्यापेत्र 6 जुलाई, 1974 को जती किया यवा षा होर उसके द्वारा दो बर्वं के किए यह प्रतिबन्ब कगा खिया वया बा कि.
(क) कम्ननी के मामाल्य जेयरों पर कर सनने के बाद भिबता हात के $33-\frac{1}{2}$ प्रणियान है चरिए या
(ब) कंपनी के सापमय क्यों है

 क्रैपरों पर विए जाले बाले लाभासों की एकम ;

॥लें जो थी कम हो ;

उससे धब्यिक लाभाज की प्रदाथगी नही की जायमी। तब से फेवरो की कीमतों में किराब्ट काती हैं; किन्तु ऐसा कोर्द सूूत नहीं मिला है कि दस कारण अनता से नयी पूंजी जुटाने में घग़षन था रही है। साभाज पर प्रतिबल्ब लगाने से कंपनियों को ओ पूंडी मिस जाएगी बह उन्हें उनके आपापुनिमीकरण, विस्तार मोर विविष्ध बस्तुएं उलादित करने के कार्यकमों में लगाने के किए उपलष्ठ होटी।

## 

रानि पर दिया ग्या जाल
*470. बी भारत fine viliल : क्ता जित मंत्री यह बताने की क्राप करेंगे कि:
(क) गत तीन बष्षों में, वर्षबार, यक तथा तार विभाग छाग म्रल्प बषत योजनास्रों के घन्तर्गत कुल कितनी राशि एकस्त की यई; और
(ब) इन जमा राशियों पर उक तथा तार विभाग द्वरा कम से कम किस बर से ब्याज दिया गया ?
 उयाजा रो हूती) :
(क)
$1971-72$
$1972-73$
$1973-74$
227.30 करोः बले
$354.90 \quad$ "
450.29 "
(ब) र्याज्य की चालू दरें नीचे ती गई हैं :-

1. उाक बर बबत तेक . . . 5 प्रतियत बारिक
2. 7 बर्बीव राँ्ट्रीय बकत $q \bar{\pi}$ (दूसरा निर्गम)

6
3. 7 ब्रींय राष्ट्रीय बकत पन (तीसरा निर्गम)

6 "
4. 7 वर्यीय राष्ट्रीय बकत पात (चौषा निर्गम)
10.25 " "
5. 7 बर्योय राप्ट्रीय बबत पत्र (पांख्या निर्गम)
10.25 प्रतिसत (चक्वादि) भ्रथवा 14 प्रतिजत साघारन
6. 10 -बर्षीय सावंधिक संष्यी जमा जाता
6.25 प्रतिमत

7 15-वर्वीय संस्ताधारण पषिष्य निधि बता
7 प्रतिमत
8. गफ बर सारधि जमा:
(क) 1 बर्वीय बताता . . . 8 प्रतिजत वाष्क्र
(ब) 2
$8 \frac{1}{2}$
(ग) 3 . . . . 9
(ब) 5 . . 10 ;
9. चाषपर 5 वर्षीय घावती कमा ज्ञाता

[^0]
[^0]:    
    

